"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 195] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अगस्त 2003—श्रावण 10, शक 1925

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (72).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का संख्यांक 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (55) दिनांक 7-6-2003 को निरस्त करती है, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (32) दिनांक 27 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त अधिसूचना में, अंक एवं शब्द "(14) फिल्म सिटी एवं स्थानीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिये मनोरंजन के क्षेत्र में वहुआयामी काम्पलेक्स के निर्माण पर आधारित उद्योग" के पश्चात् शब्द "एवं अन्य सभी नई लघु औद्योगिक इकाईयों" अन्तःस्थापित किए जाए.

2. उक्त अधिसूचना में, वर्तमान ''स्पष्टीकरण'' के स्थान पर निम्नांकित ''स्पष्टीकरण'' प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

स्पष्टीकरण :- (1) इस प्रयोजन के लिये ''नये उद्योग'' से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 1 नवम्बर, 2001 के पूर्व उत्पादन न किया हो और स्टाम्प शुल्क के छूट के संबंध में लघु औद्योगिक इकाईयां वृहद तथा मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में उद्योग आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य किया जाएगा. लघु औद्योगिक इकाईयों से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाईयों से है जिनमें रुपये एक करोड़ (मशीन एवं उपकरण सहित) तक का पूंजी निवेश किया गया हो.

(2) यह अधिसूचना 7 जून, 2003 से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 अगस्त 2003

क्रमांक एफ 10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (72).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10/19/2002/वा. कर (पं.)/पांच (72) दिनांक 1-8-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 1st August 2003

NOTIFICATION

No. F 10/19/2002/CT (R)/V (72).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) the State Government hereby cancels the department's notification No. F-10/19/2002/C. T. (R)/V (55) dated 7-6-2003 and makes further amendments in the department's notification No. F 10/19/2002/C. T. (R)/V (32) dated 27th March 2002, namely :-

AMENDMENT

1. In the said notification, after the figures and words "(14) film-city and multiplexes in entertainment sector primarily to promote regional cinema" the words "and all other new small scale industries" shall be inserted.

2. In the said notification, existing explanation shall be substituted by the following explanation, namely :-

Explanation :- (1) For this purpose "New Industry" means an industrial unit which has not gone in to production before Ist November, 2001 and for the exemption from payment of Stamp-duty, so certified by the Commissioner, Industries, or an officer authorized by him in the cases of small scale industries, major/medium industries. "small-scale industries" means such industrial units, which have Capital investment up to Rupees one crore (includes plant and machinery).

(2) This notification shall come in to force from 7th June, 2003.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.